UPBJ010065292023

न्यायालय, अपर जिला जज, कोर्ट संख्या–03, बिजनौर।
पीठासीन अधिकारीः– प्रशान्त मित्तल, उच्चतर न्यायिक सेवा. UP06174

चुनाव याचिका संख्याः– 07/2023
निधि वर्मा बनाम पर्णिता आदि

18–05–2024

पत्रावली प्रस्तुत हुई। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना पत्र ग–39 व आपत्ति ग–42 नियत है। विगत तिथि पर पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को प्रार्थना पत्र ग–39 व आपत्ति ग–42 पर सुना जा चुका है।

प्रार्थी/पेटीशनर की ओर से प्रार्थना पत्र ग–39 इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त पेटीशन में प्रतिवादी द्वारा अपना प्रतिवाद पत्र गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है और उक्त प्रतिवाद पत्र में पुनः मतगणना होने और पेटीशनर के सन्तुष्ट होने का गलत उल्लेख किया गया है तथा प्रतिवाद पत्र के साथ कूटरचित कागजात भी दाखिल किये गये हैं और पेटीशनर के पति के सम्बन्ध में गलत कथन किये गये है, इस कारण प्रतिवाद पत्र का रेप्लीकेशन दिया जाना आवश्यक है, जिससे सही तथ्य माननीय न्यायालय के समक्ष आ सके। उक्त कथनों के साथ प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न रैप्लीकेशन पत्रावली पर लेकर अभिवचनों का भाग बनाये जाने व तनकी निर्मित किये जाने की याचना की गयी है।

उत्तरदाता सं0 1 की ओर से लिखित आपत्ति ग–42 प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रार्थना पत्र बाबत दाखिल करने रैप्लीकेशन एवं उसके साथ संलग्न रैप्लीकेशन पेटीशनर द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया है, प्रार्थना पत्र किस कानून के अन्तर्गत गुजारा गया है, का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। चुनाव याचिका पर व्यवाहर प्रक्रिया संहिता के कुछ ही प्राविधान लागू होते है, सम्पूर्ण व्यवहार प्रक्रिया संहिता प्रभावी नहीं है और व्यवहार प्रक्रिया संहिता में भी कोई प्राविधान रैप्लीकेशन दाखिल करने का नहीं है। आदेश 8 नियम 9 के अन्तर्गत सिर्फ किसी बिन्दु विशेष प्रतिवाद पत्र, जो एकदम नया उठाया गया हो और रूट आफ मैटर तक जाता हो, के सम्बन्ध में ही न्यायालय से अनुमति हासिल कर उसका उत्तर दिया जा सकता है, पेटीशनर द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न रैप्लीकेशन रिजवाईन्डर के रूप में प्रस्तुत किया है, जिसका कोई प्राविधान व्यवहार प्रक्रिया संहिता में नहीं है। प्रार्थना पत्र खण्डित किया जाकर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न रैप्लीकेशन पेटीशनर को वापस होने योग्य है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत चुनाव याचिका, नगर पालिका परिषद बिजनौर के वार्ड सदस्यो को निर्वाचित किये जाने के लिये हुए निर्वाचन दिनांकित 04–05–2023 एवं मतगणना व परिणाम दिनांकित 13–05–2023 में वार्ड नं0. 17 नगर पालिका परिषद से विपक्षी सं0 1 पर्णिता को विजयी घोषित किये जाने के विरूद्ध याची निधि वर्मा द्वारा दिनांक 31–05–2023 को योजित की गयी है। विपक्षी सं0 1 द्वारा प्रतिवाद पत्र क–35 मय शपथ पत्र दिनांक 27–02–2024 को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है।

पेटीशनर की ओर से प्रार्थना पत्र ग–39 के माध्यम से प्रतिवाद पत्र क–35 का रैप्लीकेशन दाखिल करने तथा रैप्लीकेशन को पत्रावली पर लेकर अभिवचनों का भाग बनाये जाने की याचना की गयी है, जबकि विपक्षी सं0 1 के द्वारा आपत्ति ग–42 प्रस्तुत कर पेटीशनर का प्रार्थना पत्र के सथ संलग्न रैप्लीकेशन रिजवाईन्डर के रूप मे प्रस्तुत किया जाना बताते हुए तथा चुनाव याचिका पर व्यवहार प्रकिया संहिता के कुछ ही प्राविधान लागू होना बताते हुए प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने पर बल दिया गया है। चूंकि विधि का सिद्धान्त है कि मामले का निस्तारण उभय पक्षों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देते हुये गुणदोष के आधार पर किया जाना चाहिये। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थना पत्र ग–39 हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र ग–39 हर्जा 200/–रूपये पर स्वीकार किया जाता है। तद्नुसार आपत्ति निस्तारित की जाती है। हर्जा अदायगी के उपरान्त पेटीशनर द्वारा प्रार्थना पत्र ग–39 के माध्यम से प्रस्तुत रेप्लीकेशन पत्रावली शामिल की जाये। पेटीशनर को आदेशित किया जाता है कि वह अविलम्ब पेटीशन में नियत अग्रिम तिथि तक हर्जा अदा करना सुनिश्चित करे। पत्रावली वास्ते सुनवाई दिनांक 03–07–2024 को पेश हो।

(प्रशान्त मित्तल)
अपर जिला जज, कोर्ट नं0–3,
बिजनौर।

दिनांकः– 18–05–2024